सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस ।

दिनांक – 09.12.2024

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सम्भल श्री कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 09.12.2024 को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी ।

दिनांक 24.11.2024 को थाना नखासा क्षेत्रान्तर्गत घटित हिंसा की घटना का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 24.11.2024 को हुई हिंसात्मक घटनाओं में थाना नखासा क्षेत्रान्तर्गत पक्का बाग हिन्दूपुरा खेड़ा व हुसैनी रोड पर नखासा चौराहे के पास हुई हिंसात्मक पत्थरबाजी व पुलिस की बाईक जलाने तथा पुलिस की पिस्टल की मैगजीन व कारतूस लूटने की घटना के सम्बन्ध में थाना नखासा पर मु0अ0सं0 304/2024 धारा 191(2)/ 191(3)/ 190/ 109(1)/ 121(1)/ 132/ 223बी बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट व मु0अ0सं0 305/2024 धारा 191(2)/ 191(3)/ 190/ 109(1)/ 121(1)/ 132/ 324(5)/ 326(छ)/ 223(B)/ 310(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट व 2/3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत किये गये थे ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सम्भल श्री कृष्ण कुमार के आदेश के अनुपालन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री श्रीश्चन्द्र के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी असमोली महोदय श्री आलोक सिद्धू के कुशल नेतृत्व में वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ के अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 09.12.2024 को मुकदमा उपरोक्त में मुखबिर व सीसीटीवी फुटेज की मदद से प्रकाश में आये अभियुक्त रफीउज्जमा उर्फ रफी को सम्भल हसनपुर रोड पर दरियासेर के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिन्दुपुरा खेड़ा पक्का बाग व नखासा चौराहा पर भीड़ एकत्रित होकर पुलिस वालों पर अध्धा ईट पत्थर से हमलावर होकर पथराव किया था। मैं भी भीड में शामिल हो गया और हमने पुलिसवालों पर जान से मारने की नीयत से पत्थरबाजी की थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रफीउज्जमा उर्फ रफी पुत्र कमरूज्जमा निवासी मियां साब वाली मस्जिद के सामने चौक दीपासराय थाना नखासा जनपद सम्भल ।

गिरफ्तारी टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री गजेन्द्र सिंह थाना नखासा सम्भल,
2. निरीक्षक श्री लोकेन्द्र कुमार त्यागी,
3. उ0नि0 श्री मौ0 शाह फैसल,
4. का0 अनिरूद्ध चौधरी,
5. का0 गोपाल सिंह ।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार थाना रजपुरा-

आज दिनांक 09.12.2024 को थाना रजपुरा पुलिस टीम द्वारा मु0सं0 270/23, अ0सं0 258/23 धारा 306 भादवि में वारण्टी अभियुक्त सत्यवीर पुत्र रामफल निवासी लहरारतू थाना रजपुरा जनपद सम्भल को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सत्यवीर पुत्र रामफल निवासी लहरारतू थाना रजपुरा जनपद सम्भल।

गिरफ्तारी टीम-

1. उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना रजपुरा जनपद सम्भल,
2. का0 हीरेश ठैनुआ।